



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्धता आवेदन फार्म व शुल्क ऑनलाईन Gateway Payment के माध्यम से लिया जाना है, जिसके लिए गत वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 के सम्बद्धता शुल्क पर बकाया जीएसटी शुल्क के साथ शैक्षिक सत्र 2025-26 का सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 8000/- रुपये व विलम्ब शुल्क 5000/- रुपये पर (CGST @ 9% & SGST @ 9%) कुल 18% GST के साथ ऑनलाईन जमा करवाया जाना है। सम्बद्धता शुल्क HDFC बैंक द्वारा Gateway Payment के माध्यम से ऑनलाईन लिया जाना है। अस्थाई मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता फार्म व शुल्क ऑनलाईन भरने की तिथियाँ निम्न प्रकार से है:-

बिना विलम्ब शुल्क	दिनांक 03.12.2025 से 12.12.2025 तक
विलम्ब शुल्क 5000/- रुपये सहित	दिनांक 13.12.2025 से 31.12.2025 तक

सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क ऑनलाईन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भरा जाना है, सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क केवल ऑनलाईन माध्यम से लिया जाना है। ऑनलाईन सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload किये जाने है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नं० 01664-254300 या बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता शाखा के दूरभाष नं० 01664-244171 से 176 Ext. 111 पर किसी भी कार्यदिवस में 09:00AM से 05:00PM तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता शाखा की ई-मेल आई. डी. asaffi@bseh.org.in पर ई०मेल भेजी जा सकती है।

Agar

सहायक सचिव (सम्बद्धता)